निवासियों का अधिकार विधेयक

3 (1) दीर्घावधि देखभाल गृह के प्रत्येक लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवासियों के निम्नलिखित अधिकारों का पूर्ण सम्मान और संवर्धन हो:

सम्मान के साथ व्यवहार का अधिकार

1. प्रत्येक निवासी को शिष्टाचार और सम्मान के साथ व्यवहार का अधिकार है ताकि इस तरह से निवासी की अंतर्निहित गरिमा, मूल्य और व्यक्तित्व, चाहे उनकी जाति, वंश, मूल स्थान, रंग, जातीय मूल, नागरिकता, पंथ, लिंग, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति, आयु, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति या विकलांगता, कुछ भी हो, को पूरी तरह से पहचान मिल पाये।
2. प्रत्येक निवासी को अपनी जीवन शैली और विकल्पों के सम्मान का अधिकार है।
3. प्रत्येक निवासी को निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के सम्मान का अधिकार है।

दुर्व्यवहार और उपेक्षा से मुक्ति का अधिकार

4. प्रत्येक निवासी को शोषण से मुक्ति का अधिकार है।
5. प्रत्येक निवासी को लाइसेंसधारी और कर्मचारियों की उपेक्षा से मुक्ति का अधिकार है।

जीवन की इष्टतम गुणवत्ता का अधिकार

6. प्रत्येक निवासी को अलग से संवाद करने, अपनी पसंद के आगंतुकों का स्वागत करने और बिना किसी हस्तक्षेप के किसी भी व्यक्ति के साथ निजी तौर से परामर्श करने का अधिकार है।
7. प्रत्येक निवासी को मित्रता और संबंध बनाने और दीर्घावधि देखभाल गृह के जीवन में भाग लेने का अधिकार है।
8. उपयुक्त आवास उपलब्ध होने पर प्रत्येक निवासी को अपनी पारस्परिक इच्छा के अनुसार किसी अन्य निवासी के साथ कमरा साझा करने का अधिकार है।

9. प्रत्येक निवासी को अपने पति या पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक कमरे में निजी तौर पर मिलने का अधिकार है जिससे गोपनीयता सुनिश्चित होती हो।
10. प्रत्येक निवासी को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और अन्य हितों को आगे बढ़ाने, अपनी क्षमता विकसित करने और इन हितों को आगे बढ़ाने तथा अपनी क्षमता विकसित करने में लाइसेंसधारी द्वारा उचित सहायता दिए जाने का अधिकार है।
11. प्रत्येक निवासी को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है।
12. प्रत्येक निवासी को तब तक बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने के लिए संरक्षित बाहरी क्षेत्रों तक पहुंच पाने का अधिकार है जब तक कि भौतिक परिस्थिति इसे असंभव न बना दे।
13. प्रत्येक निवासी को सुरक्षा आवश्यकताओं और अन्य निवासियों के अधिकारों के अधीन अपने कमरे में व्यक्तिगत संपत्ति, चित्र और साज-सामान रखने और प्रदर्शित करने का अधिकार है।
14. प्रत्येक निवासी को अपने स्वयं के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है, जब तक कि निवासी के पास ऐसा करने की कानूनी क्षमता का अभाव न हो।
15. प्रत्येक निवासी को अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है।

गुणवत्ता देखभाल और आत्मनिर्णय का अधिकार

16. प्रत्येक निवासी को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उचित आवास, पोषण, देखभाल और सेवाओं का अधिकार है।
17. प्रत्येक निवासी को यह बताए जाने का अधिकार है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और निवासी की सीधी देखभाल कौन कर रहा है।
18. प्रत्येक निवासी को इलाज में और अपनी निजी जरूरतों की देखभाल में एकांतता का अधिकार है।
19. प्रत्येक निवासी का अधिकार है,

    i. उनकी देखभाल की योजना के विकास, कार्यान्वयन, समीक्षा और संशोधन में पूरी तरह से भाग लेना,

    ii. किसी भी उपचार, देखभाल या सेवाओं के लिए सहमति देना या अस्वीकार करना जिसके लिए कानून द्वारा उनकी सहमति आवश्यक है और सहमति देने या अस्वीकार करने के परिणामों के बारे में सूचित किया जाना है,

iii. उनकी देखभाल के किसी भी पहलू से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में पूरी तरह से भाग लें, जिसमें दीर्घावधि देखभाल गृह में उनके प्रवेश, छुट्टी या स्थानांतरण से संबंधित कोई भी निर्णय और उन मामलों में से किसी के संबंध में एक स्वतंत्र राय प्राप्त करने के लिए, और

iv. *व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचना संरक्षण अधिनियम, 2004* के अर्थ के अंतर्गत उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी उस अधिनियम के अनुसार गोपनीय रखी जाती है, और उस अधिनियम के अनुसार उनकी देखभाल की योजना सहित व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी के उनके रिकॉर्ड तक पहुंच होती है।

20. प्रत्येक निवासी को अपने देखभालकर्ताओं से उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण और उनके जीवन की गुणवत्ता का समर्थन करने और उनकी जरूरतों का समर्थन करने के लिए देखभाल करने वाले या अन्य व्यक्ति से संपर्क करने में सहयोग करने के लिए निरंतर और सुरक्षित सहायता का अधिकार है।

21. प्रत्येक निवासी को यह अधिकार है कि वह निवासी के किसी मित्र, परिवार के सदस्य, देखभाल करने वाले या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को लाइसेंसधारी या घर के कर्मचारियों के साथ किसी भी बैठक में भाग लेने का अधिकार है।

22. प्रत्येक निवासी को यह अधिकार है कि वह निवासी के किसी स्थानांतरण या अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करे और उस व्यक्ति को वह जानकारी तुरंत प्राप्त हो।

23. प्रत्येक निवासी को स्वास्थ्यप्रद देखभाल दर्शन पर आधारित, स्वतंत्रता के प्रति देखभाल और सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, ताकि स्वतंत्रता को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाया जा सके।

24. इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमित परिस्थितियों को छोड़कर और इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं के अधीन, प्रत्येक निवासी को निरुद्ध न होने का अधिकार है।

नोट: उपराज्यपाल की उद्घोषणा द्वारा नामित होने वाले दिन पर, अधिनियम की उपधारा 3 (1) के अनुच्छेद 24 में "संयमित" को हटाकर और "संयमित या सीमित" को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाता है। (देखें: 2021, सी 39, अनुसूची 1, एस 203 (3))

25. प्रत्येक निवासी को उपशामक देखभाल दर्शन के आधार पर देखभाल और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है।

26. प्रत्येक निवासी जो मर रहा है या जो बहुत बीमार है, उसे परिवार और दोस्तों को प्रतिदिन 24 घंटे पास रखने का अधिकार है।

सूचना प्राप्त करने, भाग लेने और शिकायत करने का अधिकार

27. प्रत्येक निवासी को किसी भी कानून, नियम या नीति के बारे में लिखित रूप में सूचना पाने का अधिकार है जो निवासी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और शिकायतों को शुरू करने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है।
28. प्रत्येक निवासी को निवासी परिषद में भाग लेने का अधिकार है।
29. प्रत्येक निवासी को अपनी या दूसरों की ओर से निम्नलिखित व्यक्तियों और संगठनों को बिना किसी हस्तक्षेप, भेदभाव या प्रतिशोध के भय के, चाहे निवासी या किसी और के लिए निर्देशित किया गया हो, चिंताओं को व्यक्त करने या नीतियों और सेवाओं में बदलाव की सिफारिश करने का अधिकार है:

    i. निवासी परिषद।

    ii. परिवार परिषद।

    iii. लाइसेंसधारी, और, यदि लाइसेंसधारी एक निगम है, तो निगम के निदेशक और अधिकारी, और भाग IX के तहत अनुमोदित घर के मामले में, धारा 135 के तहत घर के लिए प्रबंधन समिति का सदस्य या धारा 128 या 132 के तहत घर के लिए प्रबंधन बोर्ड का सदस्य।

    iv. स्टाफ के सदस्य।

    v. सरकारी अधिकारी।

    vi. दीर्घावधि देखभाल गृह के अंदर या बाहर कोई अन्य व्यक्ति।